

# Form No. III

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

(मुकाम)

मारवाड़ जंक्शन

तुलसादीह

बनाम

नेत्रादीह

किस्म मुकदमा राजस्व दरखास्त

212 राजस्थान

नं. .... सन् 207

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए
23/11/17	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित । वकील प्रार्थी द्वारा एक राजस्व दरखास्त विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 11/11/17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन</p> <p>11/11/17 पत्रावली काज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपखण्ड अप्रार्थी लॉ. 1, 2, 3 व 4 के 11 एवं 21 से 24 के नोटिस कंडम तामिल जा हए हैं। वकील प्रार्थी इनके खतीपों व 1/8 खतान पुनः पेश करे। अप्रार्थी लॉ. 12 से 18/4 व 19, 20 के नोटिस लेने से इकार लेने से चर्चा छिपे जाये हैं जो विचित्र तामिल में मुकदमा है इनके खर खर कामे लगेके के काकज के कुचुकीश। क.प. इनके किहू खतरनाक कार्रवाई कंडम में ली जाये वी पत्रावली काफला इकर 15/11/18 के पेश वी</p> <p style="text-align: right;">[Signature]</p>	

दिनांक

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख  
अहकाम जो इस  
का तामिल में जा

2/12/19

पत्रावली पेश हुई  
आज पीठासीन अधिकारी महोदय,  
अदालत को पेश है/ प्रमाण पर है/  
बेकाश में पेश है/ अवकाश पर है  
अतः पत्रावली आव-दा  
दिनांक 2/12/19... को पेश हो!

रिडर  
उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट  
मारवाड़ जंक्शन

2/12/19

पत्रावली आज पेश हुई वकील वार्ड अर्द्ध।  
वकील वार्ड शेष अपावर्ग जज को लक्ष्मी नाम एवं  
पता मय PIF समन पेश करने वाला दिनांक  
2/12/19 को लक्ष्मी अर्द्ध अर्द्ध भी दिया  
जा चुका है किंतु PIF समन पेश नहीं किया  
अतः जिले प्रकरण आवश्यक प्रमाण का प्रतीक  
नहीं होता (अधिवक्ता प्रमाण के लिए) अतः अदालत  
प्रकरण को वकील प्रमाण की अनुपस्थिति में तथा  
PIF समन पेशी के अभाव में अर्द्ध पेशी  
अर्द्ध दाखली तथा अर्द्ध 0-9-R-5 CPC  
के तहत खारिज किया जाता है। जिले जल  
शुभकर अर्द्ध नामवर ले नाम है।  
निर्णय आज दिनांक 2/12/19 को लक्ष्मी-याथामय  
में सुनाया गया।

सहायक जज  
मारवाड़ जंक्शन

